



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23631-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **1499/2026**

अनुज सरोज एवं अन्ययाचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता : नवीन कुमार, रंजीत

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. शुरुआत में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्तमान मामले में विवेचना पहले ही समाप्त हो चुकी है और याचीगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।
3. इसके विपरीत, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके, लेकिन कथन किया कि वह इस याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं और उचित स्तर पर उचित मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. उपरोक्त कथन के आलोक में, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

के.यू.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"